

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) अनुविभाग सीहोर (म0प्र0)

क्रमांक 51 / खाद्य / 2023

सीहोर दिनांक 27/01/2023

-: प्रेस विज्ञापित :-

मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की कंडिका 8(1) सहपठित अनुसूची 'दो' में संशोधन दिनांक 11 अप्रैल, 2016 (परिशिष्ट "दो") के अनुसार उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु निम्नांकित संस्थाएं/समूह/समिति पात्र है :-

- (क) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत वर्गीकृत (i) उपभोक्ता सोसायटी (ii) विपणन सोसायटी (iii) उत्पादक सोसायटी (iv) संसाधन सोसायटी (v) बहुप्रयोजन सोसायटी
- (ख) महिला स्व सहायता समूह
- (ग) संयुक्त वन प्रबंधन समिति

अनुविभाग सीहोर अन्तर्गत उचित मूल्य दुकानविहीन पंचायतों के नाम निम्नानुसार है :-

क्र0	पंचायत का नाम	क्र0	पंचायत का नाम
1	रसूलपुरा	10	कचनारिया
2	पानबिहार	11	देवली
3	बरी	12	खेड़ली
4	सोठी	13	पीलूखेड़ी
5	नोनीखेड़ी गौसाई	14	सेमलीकलां
6	अल्हादाखेड़ी	15	निवारिया
7	बरखेड़ा खरेट	16	गवा
8	वनखेड़ा	17	सतपीपलिया
9	करंजखेड़ा	18	सोंडा

राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा विभाग की वेबसाईट <https://rationmitra.nic.in> पोर्टल पर उक्त वर्णित उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायतों के लिये उपरोक्तानुसार पात्र संस्थाओं द्वारा दिनांक 27 जनवरी 2023 से 10 फरवरी 2023 तक ऑनलाईन आवेदन किये जा सकते हैं। उचित मूल्य आवंटन हेतु आवेदन करने वाली संस्था/समूह को आवेदन तारीख से कम से कम 01 वर्ष पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
अनुविभाग सीहोर
सीहोर दिनांक 27/01/2023

पृ.क्रमांक 52 / खाद्य / 2023

प्रतिलिपि :-

- 1- स्टेनो टू कलेक्टर, जिला सीहोर की ओर सादर सूचनार्थ।
- 2- जिला आपूर्ति अधिकारी, जिला सीहोर की ओर सूचनार्थ।
- 3- सहायक संचालक, जनसंपर्क जिला सीहोर की ओर नि:शुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
अनुविभाग सीहोर